न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 02/2012 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

श्रीबाई पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति गुर्जर उम्र करीब 46 वर्ष निवासी सैपऊ रोड बाडी

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजवीर सिंह पुत्र देवीलाल जाति गुर्जर निवासी कायस्थपाडा, बाडी।
2. तहसीलदार एवं उप पंजीयक, बाडी।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी दिनांक 07.12.2011 उनवानी श्रीबाई बनाम राजवीर सिंह मु0न0 03/11

उपस्थितिः–

1. श्री निशान्त भार्गव वकील अपीलांट।
2. रैस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 15.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के आदेश दिनांक 07.12.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थीया ने मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि कस्बा बाडी नम्बर 03 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2885 रकबा 03 बीघा 03 विस्वा का खातेदार रैस्पो0/प्रत्यर्थी संख्या 01 था। अपीलाण्ट/प्रार्थीया ने उक्त आराजी में से 01 बीघा 03 विस्वा आराजी रैस्पो0/प्रत्यर्थी संख्या 01 से जरिये पंजीकृत वयनामा दिनांक 30.12.2010 को क्रय की थी। उक्त वयनामा के आधार पर जो नामान्तकरण हुआ वह पक्षकारों की शामिलाती भूमि के रूप में हुआ जिसमें विवादित आराजी में अपीलाण्ट/प्रार्थीया को 23/63 भाग का तथा रैस्पो0/प्रत्यर्थी संख्या 01 को 40/63 भाग का खातेदार राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया। जिसका लाभ उठाकर रैस्पो0/प्रत्यर्थी विवादित आराजी को हस्तांतरित करना चाहता है तथा अपीलाण्ट/प्रार्थीया को बेदखल करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट/प्रार्थीया ने अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थीया ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जहॉ राजस्व अभिलेखो में विवादित आराजी शामिलाती दर्ज हो, वहॉ प्रत्यथी द्वारा पुनः विक्रय की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में संयुक्त खाते में दर्ज है, अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से किस 01 बीघा 03 विस्वा पर निषेधाज्ञा जारी की गई है, स्पष्ट नहीं है। रैस्पो0 अपने हिस्से 40/63 को भी दिनांक 15.12.2011 को अजय कुमार वगै0 को विक्रय कर चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया कैस ना मानने में कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, दौरान वाद विवादित आराजी को किसी प्रकार से हंस्तारित नहीं करने तथा मौके की यथा स्थिति बनाये रखने की पाबन्द आयद किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट के तर्को पर मनन किया। प्रकरण में यह तो निर्विवाद है कि अपीलाण्ट/प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत आराजी में से 01 बीघा 03 विस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से विवादित आराजी में अपीलाण्ट के हिस्से 01 बीघा 03 विस्वा तक रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो पूर्णतः तार्किक है। अपीलाण्ट विवादित भूमि में अपने अधिकार से अधिक भूमि पर रैस्पो0 को पाबन्द कराने का हकदार नहीं है। दौरान बहस अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि रैस्पो0 स्वयं के 40/63 हिस्से को भी दिनांक 15.12.2011 को अजय कुमार वगै0 को विक्रय कर चुका है। अतः अपीलाण्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष कि रैस्पो0 विवादित भूमि का हंस्तातरण नहीं करें निष्प्रभावी हो चुका है। लिहाजा हम अपील अपीलांट खारिज योग्य पाते हैं।

5. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के आदेश दिनांक 07.12.2011 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official